फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 01.02.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 11/2024 धारा 392/411/120B भादवि में 03 नफर अभियुक्तगण को 03 मोबाइल फोन व 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 11/24 धारा 392 भादवि बनाम दो अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 03 नफर अभियुक्तगण 1.करन पुत्र बलवीर निवासी तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद, 2.अंकित पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला टिकोरन पूर्वा ठठिया थाना ठठिया जनपद कन्नौज, 3.सुमित उर्फ बॉबी पुत्र मनोज निवासी अम्बेडकर नगर तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद को चोरी के 03 मल्टी मीडिया मोबाइल व 01 मोटर साइकिल कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

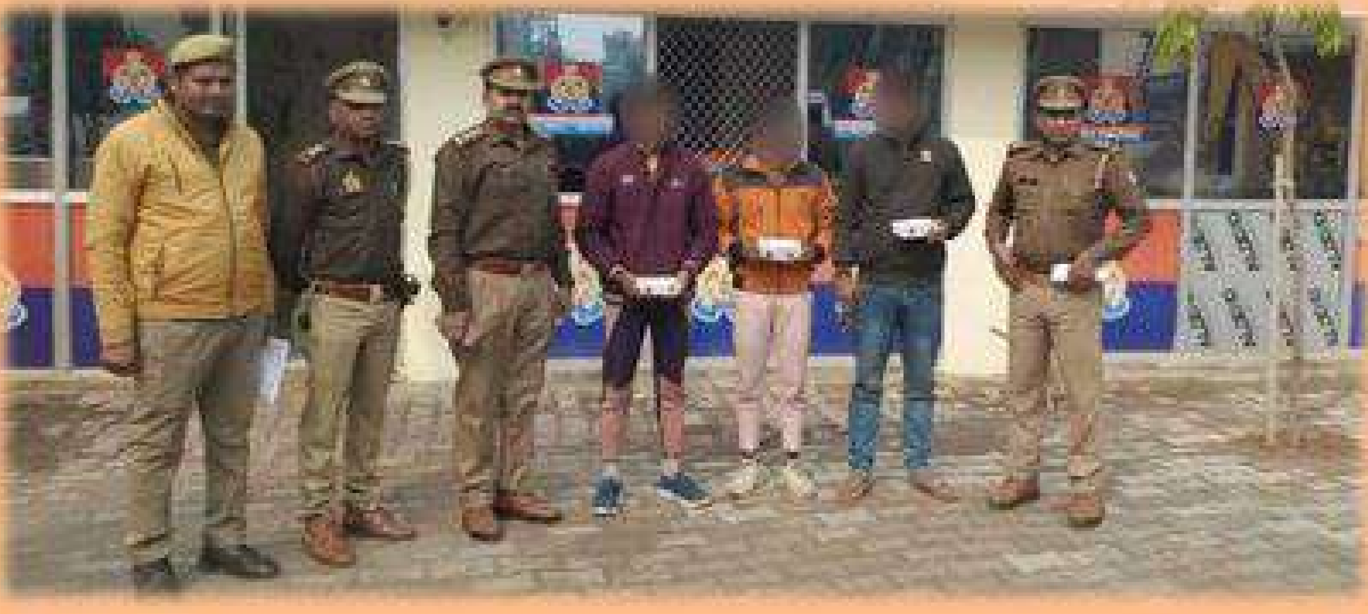

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. करन पुत्र बलवीर निवासी तकीपुरकोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष
2. अंकित पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला टिकोरन पूर्वा ठठिया थाना ठठिया जिला कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष
3. सुमित उर्फ बाँबी पुत्र मनोज निवासी अम्बेडकर नगर तकीपुर कोतवाल मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

घटना का विवरण-

कोतवाली मोहम्मदाबाद पर दिनांक 28.01.2024 को वादी श्री दीपांशू कुमार पुत्र हरिओम निवासी कटिन्नामानिकपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 11/2024 धारा 392 भादवि बनाम 02 अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में दिनांक 01.02.2024 को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.करन पुत्र बलवीर निवासी तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष 2. अंकित पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला टिकोरन पूर्वा ठठिया थाना ठठिया जिला कन्नौज उम्र करीब 20 वर्ष 3. सुमित उर्फ बाँबी पुत्र मनोज निवासी अम्बेडकर नगर तकीपुर थाना मो0बाद जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को चोरी के 03 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल व 01 अदद मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग उपरोक्त में धारा 411/120B भादवि की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 03 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल।
2. 01 अदद मोटर साइकिल

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मोहम्मदाबाद व आस पास के क्षेत्रों में मोबाइल से रास्ते में बात करने वाले राहगीरो से मोबाइल छीन लेते थे तथा सुमित उर्फ बाबी से मोबाइल का लॉक खुलवाकर अनजान व्यक्तियों को सस्ते दामो में बेच देते थे।

अभियुक्तगण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

➢ करन पुत्र बलवीर निवासी तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद -

1. मु0अ0सं0 309/22 धारा 399/401 भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 11/24 धारा 392/411/120बी भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़।
3. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

➢ अंकित पुत्र हंसराज निवासी मोहल्ला टिकोरन पूर्वा ठठिया थाना ठठिया जनपद कन्नौज -

1. मु0अ0सं0 67/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कादरी गेट जनपद फतेहगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 11/24 धारा 392/411/120बी भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
3. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

➢ सुमित उर्फ बाँबी पुत्र मनोज निवासी अम्बेडकर नगर तकीपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद -

1. मु0अ0सं0 11/24 धारा 392/411/120बी भादवि थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 मनोज कुमार भाटी
2. नि0अ0 निर्भयचन्द्र
3. व0उ0नि0 नरेन्द्र सिंह
4. उ0नि0 सूर्यप्रकाश उपाध्याय
5. हे0का0 अनिल कुमार
6. का0 सौरभ कुमार
7. का0 शोभित चौहान
8. का0 गुलाम गौस

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मेरापुर | **दि0-01.02.2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 01. प्रभात उर्फ प्रभाकर पुत्र रामकुमार राजपूत 02. हरविन्द्र पुत्र जंग सिह राजपूत निवासीगण सिलसण्डा थाना मेरापुर जनपद फतेहगढ मु0अ0सं0-135/2023 वाद सं-631/2023 धारा- 376/34/506, भादवि0 व 5जी/6 पाक्सो एक्ट थाना मेरापुर में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 01.02.2024 को मा0न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को आजीवन कारावास व 60-60 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री विकास कटियार

एडीजीसी श्री प्रदीप सिंह

कोर्ट मोहर्रिर म0का0 स्वाती

पैरो हे0का0 देवेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना मऊदरवाजा

दि0-01.02.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. राजा उर्फ मोहम्मद रेहान पुत्र कमर अली निवासी मो0 भीकमपुरा थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ 2.विकास यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी खंदिया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-271/2020 वाद सं-85/2021 धारा- 307/324/323/504 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना मऊदरवाजा में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 01.02.2024 को मा0न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण प्रत्येक को 02-02 वर्ष का कारावास व 16-16 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी श्री अशोक कटियार

एडीजीसी श्री अनुज प्रताप

कोर्ट मोहर्रिर का0 बन्टी

पैरोकार का0 नितिन यादव

POLICE
POLICE • CRIME SCENE DO NOT DISTURB
2672
UP32 DG

डॉ.प्रेम क्लीनिक
सुरेश
शुक्ला
कानपुर